के लिए)

4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां / नही)	– हॉ
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	– संलग्न है।
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावजेजों का व्यौरा।	– संलग्न है।

दिनांक.....

स्थान.....रुद्रप्रयाग

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल निगम रुद्रप्रयाग

मोहर

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

परिशिष्ठ

(देखिय नियम–6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :–

1.

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव – गैरसैण विधान सभा परिसर पेयजल येाजना (भराडी सैण)

/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। विकास खण्ड – गैरसैण , जनपद – चमोली

ख) स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। – संलग्न है।

ग) परियोजना की लागत। – रू0 ५५७.५१ लाख

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। – इसके अतिरिक्त कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जानेके लिए) –

च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। – राजस्व व पेयजल की आपूर्ति।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण: – वनभूमि–१.५५ हे0,– पाइप लाईन एवं बिछाने
– राज्य भूमि– - हे0– एवं जलाशय को निर्माण

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है

क) परिवारों की संख्या – नहीं

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या – नहीं

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने – नहीं